संख्या:-2/2026/122/45-1/179/2025(2004319)

प्रेषक,

पनधारी यादव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक/सचिव,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग लखनऊः 06 फरवरी,2026

विषयः जनपद बरेली में विज्ञान पार्क एवं नक्षत्रशाला की स्थापना कराये जाने हेतु बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली, उत्तर प्रदेश को कार्यदायी संस्था नामित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-सी.एस.टी./डी.-1938, दिनांक 11 दिसम्बर, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद बरेली में विज्ञान पार्क एवं नक्षत्रशाला की स्थापना कराये जाने हेतु बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली, उत्तर प्रदेश को कार्यदायी संस्था नामित किए जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ०प्र० शासन के प्रशासनिक नियंत्रण में द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी संस्था है। परिषद का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास व इसके उपयोग को प्रोत्साहन देना है और आम जनमानस में विज्ञान के प्रति जागरूकता का प्रचार-प्रसार करना है।

3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत मण्डल/जनपद स्तर पर विज्ञान पार्कों एवं नक्षत्रशालाओं, स्पेस पार्क आदि की स्थापना हेतु मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों से भूमि के आवंटन हेतु अनुरोध किया जाता है। इसी क्रम में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0 के पत्र संख्या-सीएसटी/आईजीपी/डी-1572, दिनांक 08.10.2025 के क्रम में उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के पत्र संख्या-4140/ब0वि0प्रा0/2025-2026, दिनांक 14.11.2025 द्वारा जनपद बरेली में विज्ञान पार्क एवं नक्षत्रशाला की स्थापना हेतु रू04775.02 लाख की प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट प्रेषित करते हुए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। उक्त परियोजना के अन्तर्गत रामगंगा नगर आवासीय योजना, सेक्टर-8 में चिन्हित 5.33 एकड़ भूमि पर प्राधिकरण द्वारा मैराइन पार्क, स्पेस पार्क तथा ए0आई0 पार्क के निर्माण के कार्य शीघ्र आरम्भ किये जायेंगे। इसी चिन्हित भूमि में से 3000 वर्ग मीटर की भूमि पर आधुनिक विज्ञान संग्रहालय भवन एवं नक्षत्रशाला के निर्माण किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

विभाग में प्रस्तावित परियोजना हेतु वर्ष 2025-26 में 'प्रदेश में विज्ञान पार्क/साइंस सिटी/नक्षत्रशालाओं की स्थापना' के अन्तर्गत एक मुश्त रू0 5001.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद बरेली में विज्ञान पार्क एवं नक्षत्रशाला की स्थापना हेतु एकमुश्त व्यवस्था के अन्तर्गत कार्ययोजना पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त है।

4. प्रदेश सरकार स्वीकृत विभिन्न विकास योजनाओं का क्रियान्वयन हेतु वित्त विभाग से निर्गत शासनादेश सं0-5/2015/ई-8-1092/दस-20165-1074/2012, दिनांक 08.09.2015 द्वारा शासकीय संस्थाओं यथा-लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि0, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ०प्र० जल निगम), ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उ०प्र०, समाज कल्याण निर्माण निगम लि०, उ०प्र० आवास

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

एव विकास परिषद, उ०प्र० प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि० तथा उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० (पैकफेड) को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश द्वारा प्रदेश के प्राधिकरण/प्राधिकरणों को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित नहीं किया गया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन विज्ञान पार्क एवं नक्षत्रशाला की स्थापना किये जाने हेतु भूमि की आवश्यकता होती है। यह भूमि प्रायः विकास प्राधिकरणों के पास उपलब्ध रहती है, जिसके कारण परियोजना हेतु भूमि आसानी से मिल जाती है। प्राधिकरण की भूमि पर अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य कराने में कठिनाई होती है, जबकि प्राधिकरण के माध्यम से कार्य कराने में सुगमता और समय की बचत होगी। इसके अतिरिक्त प्राधिकरणों के पास निर्माण/योजनाओं को लागू करने के लिए पहले से ही पर्याप्त तकनीकी स्टाफ व अन्य आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध रहता है। अतः इस दृष्टि से भी प्रस्तावित पार्क एवं नक्षत्रशाला के निर्माण हेतु बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली, उत्तर प्रदेश को कार्यदायी संस्था नामित किया जाना उचित है।

5. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 29.01.2026 में बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली, उत्तर प्रदेश द्वारा रामगंगा नगर आवासीय योजना, सेक्टर-8 में चिन्हित 5.33 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित मैराइन पार्क, स्पेस पार्क तथा ए0आई0 पार्क के साथ इसी चिन्हित भूमि में से 3000 वर्ग मी0 भूमि पर विज्ञान पार्क एवं नक्षत्रशाला के निर्माण किये जाने हेतु बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली, उत्तर प्रदेश को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया तदनुसार प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पनधारी यादव)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
(3) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
(4) निजी सचिव, मा0 मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0।
(5) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0।
(6) आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली, उ0प्र0।
(7) उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली, उ0प्र0।
(8) **<u>अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,</u>**
वित्त विभाग/न्याय विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन।
(9) जिलाधिकारी, बरेली।
(10) लेखाधिकारी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार गौतम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।